न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 48/2025 राजस्व वाद

1. रतन लाल पिता छोटूलाल राजोरा तेली निवासी वार्ड संख्या 4 देवली रोड़ प्रेमनगर, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम –वादी

1. छोटू लाल पिता रामचन्द्र तेली उम्र वयस्क निवासी वार्ड संख्या 4 देवली रोड़ प्रेमनगर, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. धर्मेन्द्र पिता छोटू लाल राजोरा तेली उम्र वयस्क निवासी वार्ड संख्या 4 देवली रोड़ प्रेमनगर, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री प्रवीण सारस्वत : वादी
2. प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक– 21/1/26 2026

वादी की ओर से दिनांक 03.02.2025 को अधिवक्ता श्री प्रवीण सारस्वत द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया, जिसे रिपोर्ट उपरान्त रजिस्टर में क्रम संख्या 48/2025 पर पंजीबद्ध किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में पिता–पुत्र होकर शामिल शरीक रहते चले आ रहे है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य पारिवारिक सम्पदाओं का कोई विभाजन मीटस एण्ड बाण्डस के आधार पर नहीं हुआ है तथा सभी चल अचल सम्पदाएं अविभक्त दशा में चली आ रही है।

राजस्व ग्राम पुर तहसील भीलवाड़ा के बेरून हल्के में खाता संख्या 2313 आराजी संख्या 10506/8865, 10507/8867, 8734, 8736, 8751, 8752, 8873 कुल कीता 07 कुल रकबा 2.5037 हैक्टयर अवस्थित है। उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पुश्तैनी चली आ रही है जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/7 हक व हिस्से से अभिलिखित चली आ रही है। इस हेतु जमाबंदी की नकल हमराह वाद पेश है। उक्त वर्णित आराजियात को आगे वाद में विवादित आराजियात से संबोधित किया जायेगा।

वादी का उक्त विवादित आराजियात पैतृक होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ साथ समान हक व हिस्सा जन्म से ही कानूनन है व बनता है तथा इसी अनुसार वादी उक्त वर्णित समस्त विवादित आराजियात पर काबिज हो उपयोग उपभोग निरन्तर करता चला आ रहा है, किन्तु वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ नहीं खोल भारी अवैधानिकता की है अर्थात विवादित आराजियात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द्र जी के निधन उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर भी अभिलिखित की जानी चाहिये थी क्योंकि रामचन्द्र जी का निधन हिन्दू उतराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के उपरान्त दिनांक 14.05.2017 में हुआ है तथा कब्जा भी वादी का अपने हक व हिस्से अनुसार विवादित्त आराजियात पर चला आ रहा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होने से एवं उक्त वर्णित विवादित आराजियात पैतृक होने से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ समान हक व हिस्सा प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है।

21/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पिता है की सेवा चाकरी एवं भरण पोषण इत्यादि वादी द्वारा ही किया जा रहा है किन्तु विवादित आराजियात गलत एवं अवैध हक व हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अभिलिखित होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दुराश्यपूर्वक वादी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की गरज से अपने मिलने वाले व्यक्तियों को वादग्रस्त आराजियात रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित करने को आमादा हो रहा है प्रतिवादी संख्या 1 का गलत अभिलिखित चला आ रहा समस्त हक व हिस्सा विक्रय, रहन बय बक्षीस करने का हक वादी के मुकाबले में प्रतिवादी संख्या 01 को नहीं है क्योंकि:–

1. वादग्रस्त आराजियात पैतृक होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 का भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ वादग्रस्त आराजियात में समान हक व हिस्सा कानूनन है व होता है अर्थात विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/21 हक व हिस्सा कानूनन होता है तथा वादी का 1/21 हक व हिस्सा कानूनन होता है तो फिर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजियात में अपने बनने वाले हक व हिस्से से ज्यादा का विक्रय रहन बय बक्षीस करने का कोई हक व अधिकार नहीं है।
2. विवादित आराजियात पैतृक होकर सामलाती है और बिना विभाजन कराये किया गया किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण सर्वथा गलत होकर वादी के मुकाबले में प्रभावहीन व शून्य है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा चाकरी इत्यादि वादी द्वारा ही की जा रही है तो फिर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजियात को विक्रय अथवा हस्तान्तरित करने की कतई आवश्यकता नहीं है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 को अपने स्वयं के लिये अथवा परिवार के लिये कोई किसी प्रकार की रकम की सदभाविक आवश्यकता नहीं है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ वादी का भी नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने हेतु कहा किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से इंकार कर दिया प्रतिवादी संख्या 01, 02 वादी को वादग्रस्त आराजियात का 1/21 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार होना नहीं मानते है। इस कारण यह घोषणा की जाना आवश्यक हो गया है कि वादग्रस्त आराजियात का वादी 1/21 हक व हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक भी वादग्रस्त आराजियात के 1/21, 1/21 हक व हिस्से के ही सहखातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिनांक 26.01.2025 को विवादित आराजियात के वादी के हक व हिस्से पर नाजायज कब्जा करने का असफल प्रयास किया तथा धमकी दी कि हम (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) तुझे विवादित आराजियात पर काश्त नहीं करने देंगें तथा जबरन धन एवं भुजबल के आधार पर बेदखल करके रहेगें। वादी के हकों एवं अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित आराजियात से वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, करावें तथा वादी द्वारा विवादित आराजियात के अपने हक व हिस्से के किये जा रहे निरन्तर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दखलअंदाजी व हस्तक्षेप नहीं करें, करावें न विवादित आराजियात को किसी अन्य व्यक्तियों रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित ही करें, करावें।

प्रतिवादी संख्या 3 एरिया के भूमि धारक होने से उन्हें प्रकरण में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है तथा उनके विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष दाद वादी नहीं चाहता है।

पक्षकारान एवं जायदादें निजाई अधिकार क्षेत्र आपके निवासी एवं स्थित होने से यह वाद न्यायालय आपके श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से न्यायालय आपमें पेश है।

अतः प्रार्थना है कि बजरिये डिक्री घोषणात्मक बहक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजियात का वादी 1/21 हक व हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भी वादग्रस्त आराजियात के 1/21, 1/21 हक व हिस्से के ही सहखातेदार काश्तकार है।

7/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

बजरिये डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा की बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित आराजियात से वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, करावें तथा वादी द्वारा विवादित आराजियात के अपने हक व हिस्से के किये जा रहे निरन्तर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दखलअंदाजी व हस्तक्षेप नहीं करें, करावें न विवादित आराजियात को किसी अन्य व्यक्तियों को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नही करें, करावें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के सम्मन बाद तामिल दिनांक 30.04.2025 को प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध दिनांक 11.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में दिनांक 25.09.2025 को रतन लाल राजोरा का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया तथा मुख्य परीक्षा कराई गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से साक्ष्यवादी से जिरह प्रतिवादी बंद की गई।

वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्श कराये गये:-

1. ग्राम पुर की जमाबन्दी सम्वत् 2069-73 खाता संख्या 2313 प्रदर्श-1
2. नामान्तरण प्रपत्र (प-21) प्रदर्श-2

प्रकरण में दिनांक 06.02.2026 को बद्रीलाल तेली का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया तथा मुख्य परीक्षा करवाई गई।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पुर की आराजी संख्या 10506/8865, 10507/8867, 8734, 8736, 8751, 8752, 8873 कुल कीता 07 कुल रकबा 2.5037 हैक्टयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में छोटुलाल पुत्र रामचन्द्र के नाम शामलाती दर्ज है। जिसमें छोटूलाल पुत्र रामचन्द्र का 1/7 हक हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पुश्तैनी आराजियात है, जिससे प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ-साथ वादी का भी समान हक व हिस्सा जन्म से ही कानूनन है। इसी अनुसार वादी वादग्रस्त आराजियात पर काबिज हो उपयोग-उपभोग निरन्तर करता चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द्र जी के निधन उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 के साथ-साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर भी अभिलिखित की जानी चाहिए थी, क्योंकि रामचन्द्र जी का निधन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के उपरान्त दिनांक 14.05.2017 को हुआ।

अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होने से एवं वादग्रस्त आराजियात पैतृक होने से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ-साथ समान हक व हिस्सा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। अर्थात विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/21 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/21 हक हिस्सा एवं वादी का 1/21 हक हिस्सा कानूनन बनता है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादी के 1/21 हक हिस्से से जबरन बेदखल नहीं करे तथा वादी द्वारा विवादित आराजियात के अपने हक व हिस्से के किये जा रहे निरन्तर उपयोग -उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दखलंदाजी व हस्तक्षेप नहीं करे। विवादित आराजियात को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन बय बक्षीस कर हस्तांतरित नहीं करे।

वादी अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजियात वादी की पुश्तैनी आराजियात होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी का वादग्रस्त आराजियात में जन्म से ही हक अधिकार निहित हो गये है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार छोटूलाल पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज 1/7 हक हिस्सा गलत तौर पर दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/21- 1/21 हक हिस्से के साथ वादी भी अपने 1/21 हक हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को वादग्रस्त आराजियात से वादी को जबरन बेदखल नहीं करने तथा वादी के अपने हक हिस्से के किये जा रहे उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी व हस्तक्षेप नहीं करने तथा विवादित आराजियात को किसी अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन, बय बक्षीश, हस्तांतरित नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

—: आदेश :—

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वीकार किया जाता है और ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की वादग्रस्त आराजी संख्या 10506/8865, 10507/8867, 8734, 8736, 8751, 8752, 8873 कुल कीता 07 कुल रकबा 2.5037 हैक्टयर भूमि का वादी को 1/21 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में वादी के हक हिस्से में वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी एवं बाधा उत्पन्न नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। निर्णय की पालना बाद मियाद अपील की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

27/5/26

(सहायक कलक्टर)

सहायक कलेक्टर

भीलवाड़ा